

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1198/दो-9-2018-17(5)/2018
लखनऊ : दिनांक : 22 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राम शकल, पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 21.04.2018 एवं जिलाधिकारी वाराणसी के पत्र दिनांक 25.04.2018 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ग) (क)सपठित नियम-17 (1)(क) के अधीन खरगा पुर गोमतीनगर लखनऊ में भवन निर्माण एवं मरम्मत हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-आर0वी0यू0/41955 से रू0-10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-1198(1)/दो-9-2018, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
पंजीकृत- 2- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
पंजीकृत- 3- जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- श्री राम शकल, उपजिलाधिकारी, वाराणसी।
✓ 5- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।
6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को नियुक्ति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1198/दो-9-2018-17(5)/2018
लखनऊ : दिनांक : २२ मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राम शकल, पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 21.04.2018 एवं जिलाधिकारी वाराणसी के पत्र दिनांक 25.04.2018 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ग) (क)सपठित नियम-17 (1)(क) के अधीन खरगा पुर गोमतीनगर लखनऊ में भवन निर्माण एवं मरम्मत हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-आर0वी0यू0/41955 से रू0-10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-1198(1)/दो-9-2018, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
पंजीकृत- 2- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
पंजीकृत- 3- जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- श्री राम शकल, उपजिलाधिकारी, वाराणसी।
5- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।
6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को नियुक्ति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
शिवनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।